CHAPTER- 14: OFFENCES RELATED TO PUBLIC SAFETY AND NUISANCE

मॉड्यूल के अंतिम दो दिनों के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ (व्यावहारिक व्यावहारिक सत्र / प्रैक्टिकल हैंड्स–ऑन सेशंस)

- **नोट–1–** पूरी कक्षा को छह समूहों में विभाजित करें। उन्हें कॉलम 5 के अनुसार छोटे समूहों में कार्य दिया जाना चाहिए।

- **पहला छोटा समूह–** FIR का मसौदा तैयार करना – पेपर 2 BNS
- **दूसरा छोटा समूह–** (FSL, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य और औषधि विभाग) को रिपोर्ट लिखना – पेपर– 3 माइनर एक्ट्स
- **तीसरा छोटा समूह–** संबंधित विभाग के परिपत्रों (सर्कुलर) का अध्ययन (नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य और औषधि विभाग) – पेपर– 3 माइनर एक्ट्स
- **चौथा छोटा समूह–** राज्य में किसी बड़ी घटना का केस स्टडी – पेपर 2 BNS
- **पांचवां और छठा छोटा समूह–** सार्वजनिक व्यवस्था ड्यूटी (Public order duty), क्या करें और क्या न करें (Do's and Don'ts) – पेपर 11 (A)

- **नोट–2–** व्यावहारिक सिमुलेशन के उपरोक्त कार्य के अंत में क्या करें और क्या न करें के आधार पर समूह चर्चा (ग्रुप डिस्कशन) की जानी चाहिए।
- **नोट–3–** आवश्यकतानुसार मॉड्यूल से पहले/बाद में वीकेंड (शनिवार/रविवार) या सार्वजनिक अवकाशों पर फिल्म/वेब सीरीज दिखाई जानी चाहिए।
- **नोट–4– परीक्षा–** व्यावहारिक व्यावहारिक सत्रों के अंतिम सत्र के दौरान A–13 से वाइवा (मौखिक परीक्षा)/MCQ टेस्ट आयोजित किया जाना है।

- व्यावहारिक सिमुलेशन के दौरान, सभी प्रशिक्षुओं (ट्रेनीज) से, पुलिस अधिकारी होने के नाते, सार्वजनिक सुरक्षा अध्याय में सिखाए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है।
- राज्य–विशिष्ट इनपुट के लिए आवंटित सत्रों का उपयोग प्रासंगिक राज्य पुलिस मैनुअल और स्थायी आदेशों (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) के अतिरिक्त सत्रों के लिए किया जा सकता है, जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो।

PTS Kherwara, udaipur

Module- A- 13- The Public Health and Safety (Day-05) (Session-30)
Paper- 11(A-4)- Securty Management (03 Session)

लोक व्यवस्था (Public Order) का अर्थ है समाज में शांति, कानून, और अनुशासन बनाए रखना ताकि लोग बिना किसी भय, हिंसा या अव्यवस्था के अपने दैनिक जीवन को जी सकें। यह एक ऐसा सामाजिक और कानूनी ढांचा है, जो नागरिकों के अधिकारों, सुरक्षा, और शांति को सुनिश्चित करता है।

लोक व्यवस्था के प्रमुख घटकः

1. कानून और शांति बनाए रखनाः
- समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखना।
- दंगे, हिंसा, और अन्य असामाजिक गतिविधियों को रोकना।

2. सामाजिक सामंजस्यः
- विभिन्न जाति, धर्म, और समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखना।
- सामाजिक तनाव को रोकने के उपाय करना।

3. सुरक्षा का प्रावधानः
- नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण करना।

4. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षाः
- सरकारी और निजी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- तोड़फोड़ या अन्य नुकसान की घटनाओं को रोकना।

1. जनसहभागिता

जन सहभागिता का अर्थ है किसी सार्वजनिक कार्य, योजना, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी। यह भागीदारी विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे किः
- **राय देनाः** किसी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करना, सुझाव देना।
- **सलाह देनाः** अपनी विशेषज्ञता या अनुभव के आधार पर सलाह देना।
- **निर्णय लेनाः** सामूहिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना।
- **कार्यान्वयन में सहयोग करनाः** किसी योजना या परियोजना को लागू करने में मदद करना।
- **निगरानी करनाः** कार्यों और योजनाओं की प्रगति पर नजर रखना।

जन सहभागिता के लाभः
- **बेहतर निर्णयः** लोगों की विविध राय और ज्ञान शामिल होने से अधिक संतुलित और प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं।
- **ज्यादा जवाबदेहीः** जब लोग प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो सरकार और अन्य संस्थाएं अधिक जवाबदेह बनती हैं।
- **पारदर्शिताः** जन सहभागिता से कार्यों और निर्णयों में पारदर्शिता आती है।
- **समानताः** यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों की आवाज सुनी जाए, जिसमें अल्पसंख्यक और वंचित समूह भी शामिल हैं।
- **स्वामित्व की भावनाः** जब लोग किसी कार्य में भाग लेते हैं, तो वे उसे अपना मानते हैं और उसकी सफलता के लिए अधिक प्रतिबद्ध होते हैं।
- **विकास में सहायकः** जन सहभागिता विकास योजनाओं को अधिक प्रासंगिक और सफल बनाने में मदद करती है।

prskherwara, udaipur

- **सामाजिक एकता:** यह लोगों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देकर सामाजिक एकता को मजबूत करती है।

जन सहभागिता के उदाहरण:

- **चुनाव:** अपने प्रतिनिधियों को चुनने में नागरिकों की भागीदारी।
- **ग्राम सभा:** गांवों में विकास योजनाओं पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए लोगों की सभा।

सलाहकार समितियाँ: सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा बनाई गई समितियाँ जिनमें नागरिक अपनी राय देते हैं।

दबाव समूह: किसी विशेष मुद्दे पर सरकार या नीति निर्माताओं पर दबाव बनाने के लिए लोगों का समूह।

ऑनलाइन याचिकाएँ और चर्चा मंच: इंटरनेट के माध्यम से लोगों का किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करना और संगठित होना।

स्वैच्छिक कार्य: सामुदायिक परियोजनाओं में अपनी इच्छा से योगदान देना।

बजट में नागरिक भागीदारी: सरकार द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया में नागरिकों से सुझाव लेना।

जन सहभागिता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह सुशासन, सामाजिक विकास और नागरिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां और कार्यक्रम लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हों।

i. लोक व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका

लोक व्यवस्था बनाए रखने में आरक्षी (Constable) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आरक्षी पुलिस संगठन का सबसे निचला और मजबूत स्तंभ होता है, जो समाज के सीधे संपर्क में रहता है।

लोक व्यवस्था बनाये रखने में आरक्षियों की भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है:

1. अपराधों की रोकथाम

- संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखना।
- गश्त (पेट्रोलिंग) के माध्यम से अपराधों को रोकने का प्रयास करना।
- जनता को सतर्क रहने और कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करना।

2. भीड नियंत्रण

- भीड़ को अनुशासन में रखना और अव्यवस्था फैलने से रोकना।
- प्रदर्शनों, रैलियों, या आंदोलनों के दौरान शांति बनाए रखना।
- अगर स्थिति बिगड़ने लगे तो भीड़ को तीतर–बितर करने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग करना।

3. शांति व्यवस्था बनाए रखना

- संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी।
- त्यौहारों, मेलों, और विशेष आयोजनों के दौरान

लोक व्यवस्था में आरक्षी के उत्तरदायित्व

लोक व्यवस्था बनाए रखने में आरक्षी का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आरक्षी कानून–व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे बुनियादी स्तर पर काम करता है और उसकी भूमिका जनता तथा पुलिस प्रशासन के बीच सेतु के रूप में होती है। उसके उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:

1. कानून–व्यवस्था बनाए रखना

PTS Kherwara, udaipur

- शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों पर निगरानी रखना।
- हिंसा, झगड़े, और विवादों को रोकना।
- भीड़ या समूह को नियंत्रित रखना।

2. शांति बनाए रखना
- तनावपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी।
- सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना।
- आपसी विवादों का समाधान करवाने में मदद करना।

3. अपराध की रोकथाम
- संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना।
- नियमित गश्त (पेट्रोलिंग) करना।
- अपराधियों की पहचान और उनकी गतिविधियों की जानकारी उच्च अधिकारियों को देना।

4. आपातकालीन स्थितियों में कार्य
- दंगों, आगजनी, या अन्य आपदाओं के दौरान शांति बनाए रखना।
- पीड़ितों की मदद करना और संपत्ति की सुरक्षा करना।
- आपातकालीन सेवाओं के लिए मदद उपलब्ध कराना।

5. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा
- सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकना।
- महत्वपूर्ण स्थलों की निगरानी करना।
- अफवाहों और झूठी सूचनाओं को फैलने से रोकना।

6. भीड़ नियंत्रण
- बड़े आयोजनों, जैसे त्योहारों, मेलों, और रैलियों के दौरान भीड़ का प्रबंधना
- यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम बल का प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित करना।
- भीड़ को शांति पूर्वक तीतर–बितर करना।

7. यातायात प्रबंधन
- सड़क पर ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखना।
- भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को संभालना।
- दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरतना।

8. अभिसूचना संकलन
- संदिग्ध व्यक्तियों और अराजक तत्वों की जानकारी एकत्र करना।
- संवेदनशील स्थानों और घटनाओं के बारे में सूचना संकलना
- अपराधों को रोकने के लिए गुप्त सूचनाएं अधिकारियों को देना।

9. मानवाधिकारों का पालन
- कार्यवाही करते समय मानवाधिकारों का सम्मान करना।
- निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ काम करना।
- बल का प्रयोग न्यूनतम और कानूनी दायरे में करना।

10. जनता के साथ समन्वय
- जनता की शिकायतें सुनना और उनका समाधान करना।
- जनता को कानून के प्रति जागरूक करना।
- लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना।

11. चुनाव एवं विशेष आयोजनों में भूमिका
- मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा।
- चुनाव के दौरान शांति बनाए रखना।
- विशेष आयोजनों में सुरक्षा सुनिश्चित करना।

PTS Kherwara, Udaipur

12. अफवाहों और तनाव को रोकना

- झूठी खबरों और अफवाहों को फैलने से रोकना।
- किसी घटना या विवाद को तूल पकड़ने से पहले नियंत्रित करना।
- सामुदायिक सहयोग से विवादों को हल करना।

13. संवेदनशील स्थानों की निगरानी

- संवेदनशील क्षेत्रों और स्थानों की लगातार निगरानी।
- सामुदायिक तनाव को पहचान कर समय पर कार्यवाही करना।

14. प्रशासनिक आदेशों का पालन

- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना।
- आदेशों को समय पर और प्रभावी तरीके से लागू करना।
- हर कार्य को निष्पक्षता और ईमानदारी से पूरा करना।

ii. लोक व्यवस्था में जनता की भागीदारी

लोक व्यवस्था (law and order) को बनाए रखने में जनता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सशक्त और सुव्यवस्थित समाज के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक होती है। जनता की भूमिका को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. कानून का पालन

जनता की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे कानूनों का पालन करें। यातायात नियम, कर कानून, सामाजिक नियम आदि का पालन करके एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाया जा सकता है।

2. सामाजिक चेतना

जनता को समाज में हो रहे अपराधों और अन्याय के प्रति सजग रहना चाहिए। गलत गतिविधियों की सूचना पुलिस या संबंधित अधिकारियों को देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।

3. सामूहिक सहयोग

जनता को आपसी सहयोग और सामुदायिक समर्थन के माध्यम से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। धार्मिक आयोजनों, चुनावों या आपदाओं के समय संयम और सहयोग महत्वपूर्ण होता है।

4. सरकार के साथ संवाद

लोकतंत्र में नागरिकों का दायित्व है कि वे अपने विचार और समस्याएं सरकार के सामने रखें ताकि कानून और नीतियां जनहित में बनाई जा सकें।

5. नैतिक मूल्यों का पालन

जनता के नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवहार लोक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होते हैं। सत्य, अहिंसा, और सद्भाव जैसे मूल्यों का अनुसरण समाज में शांति लाता है।

6. स्वयंसेवी योगदान

जनता स्वच्छता अभियान, आपदा राहत, और सामाजिक जागरूकता अभियानों में भाग लेकर बेहतर समाज के निर्माण में योगदान कर सकती है।

7. नफरत और अफवाहों से बचाव

समाज में अफवाहें और गलत जानकारी लोक व्यवस्था को भंग कर सकती हैं। जनता को सतर्क रहकर ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।

लोक व्यवस्था में जनता की भागीदारी की आवश्यकता

PTS Kherwara, Udaipur

लोक व्यवस्था (law and order) में जनता की भागीदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक संगठित और सुरक्षित समाज का निर्माण केवल प्रशासन और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं हो सकता। जनता की सक्रिय भागीदारी समाज के सुचारू संचालन, सुरक्षा, और शांति बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके कारण निम्नलिखित हैं:

1. सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन

हर नागरिक समाज का हिस्सा है और उसे अपने अधिकारों के साथ–साथ जिम्मेदारियों का भी पालन करना चाहिए।

कानून का पालन और दूसरों के अधिकारों का सम्मान एक स्वस्थ समाज की नींव है।

2. अपराधों को रोकने में मदद

अपराध और असामाजिक गतिविधियां तभी रुक सकती हैं जब जनता सतर्क होकर अपनी जिम्मेदारी निभाए।

अपराधों की जानकारी समय पर पुलिस को देना और कानून तोड़ने वालों का समर्थन न करना लोक व्यवस्था को मजबूत करता है।

3. सामुदायिक शांति और सौहार्द

धार्मिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक विविधता के बावजूद, जनता का सामंजस्यपूर्ण व्यवहार शांति बनाए रखने में सहायक होता है।

संघर्ष और विवादों को बातचीत और संयम से हल करना समाज को स्थिर बनाता है।

4. अफवाहों और नफरत से बचाव

गलत जानकारी और अफवाहें लोक व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं।

जनता की भागीदारी जरूरी है ताकि लोग जागरूक रहें और नफरत फैलाने वाली गतिविधियों को रोकें।

5. सरकार और प्रशासन को सहयोग

जनता का सहयोग प्रशासन के लिए नीतियों और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है।

जनसहयोग के बिना सरकार के प्रयास अधूरे रह जाते हैं।

6. सामाजिक जागरूकता और सुधार

जनता की भागीदारी सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, बाल श्रम, आदि को खत्म करने में प्रभावी होती है।

सामूहिक प्रयास से समाज में सुधार लाया जा सकता है।

7. आपदाओं और संकट में योगदान

भागीदारी प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, या संकट की स्थिति में जनता की सक्रिय प्रशासन का बोझ कम करती है और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करती है।

लोक व्यवस्था में जनता कैसे भागीदारी कर सकती है

लोक व्यवस्था में जनता कई तरीकों से सक्रिय भागीदारी कर सकती है। उनकी भागीदारी समाज को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और संगठित बनाने में मदद करती है। यहां कुछ प्रमुख तरीकों का उल्लेख किया गया है:

1. कानून का पालन करना

- यातायात नियमों, कर कानूनों, और अन्य सामाजिक व कानूनी प्रावधानों का पालन करके।
- अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना।

2. सामाजिक समस्याओं पर सतर्कता

- अपने आसपास के क्षेत्र में हो रही असामाजिक या अवैध गतिविधियों पर नजर रखना।

PTS Kherwara, Udaipur

- अपराध या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों को देना।

3. सामुदायिक सहयोग

- धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजनों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना।
- क्षेत्रीय समस्याओं को मिल–जुलकर सुलझाने में मदद करना।

4. अफवाहों से बचाव और जागरूकता फैलाना

- किसी भी अफवाह या नकारात्मक जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना।
- समाज में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता अभियान, वर्कशॉप या सेमिनार आयोजित करना।

5. आपदा और संकट में मदद करना

- प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या अन्य संकटों के समय प्रशासन का सहयोग करना।
- राहत और पुनर्वास कार्यों में योगदान देना।

6. शांति और सद्भाव बनाए रखना

- धार्मिक, जातीय, या सांस्कृतिक विविधता के प्रति सहिष्णुता दिखाना।
- किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ावा न देना और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना।

7. स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में योगदान

- अपने आसपास सफाई बनाए रखना और स्वच्छता अभियान में भाग लेना।
- पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाना।

8. लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना

- चुनावों में मतदान करना और सुशासन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेना।
- अपने जनप्रतिनिधियों से संवाद करके क्षेत्र की समस्याओं को उठाना।

9. स्वयंसेवी कार्यों में हिस्सा लेना

- गैर सरकारी संगठनों (NGOs) या सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सामुदायिक विकास के कार्यों में भागीदारी।
- समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य क्षेत्रों में योगदान देना।

10. डिजिटल मीडिया का सकारात्मक उपयोग

- सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग जागरूकता फैलाने और सकारात्मक संदेश देने के लिए करना।
- साइबर अपराधों और गलत सूचना को रोकने में में सतर्क रहना

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 13- The Public Health and Safety (Day-05) (Session-30)
Paper- 01- Bhartiya Nagrik Surksha Sanhita 2023 (02 Session)

152. न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश– (1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि–

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरुद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए; या

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए; या

(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए; या

(घ) कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलंब लगाना आवश्यक है;

(ङ) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके; या

(च) किसी भयानक जीवजंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्यय किया जाना चाहिए,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीवजंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह–

(i) ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा दे; या

(ii) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निदिष्ट की जाए या ऐसे मामले या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निदिष्ट की जाए; या

(iii) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे, या

(iv) ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए या ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलंब लगाए; या

(v) ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाए; या

(vi) ऐसे भयानक जीवजंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे, जो उस आदेश में उपबंधित है,

या यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

PTS Kherwara, Udaipur

स्पष्टीकरण "लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद–प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं।

153. आदेश की तामील या अधिसूचना– (1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो, उस रीति से की जाएगी, जो समनों की तामील के लिए इसमें उपबंधित है।

(2) यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी, जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निदेश करे और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी, जो उस व्यक्ति को इत्तिला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं।

154. जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे–वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है–

(क) उस आदेश द्वारा निदिष्ट कार्य उस समय के अंदर और उस रीति से करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, या

(ख) उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा और ऐसी हाजिरी या वर्चुअल सुनवाई श्रृव्य दृश्य संगोष्ठी के माध्यम से अनुज्ञात की जा सकेगी।

155. धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति– यदि व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 154 के अधीन कोई आदेश दिया गया है ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 में उस निमित्त विनिर्दिष्ट शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा।

156. जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहां प्रक्रिया– (1) जहां किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेन्स या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 152 के अधीन किया जाता है वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर, उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार करता है और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 157 के अधीन कार्यवाही करने के पहले उस बात की जांच करेगा।

(2) यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इंकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता हैय और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 157 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(3) मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रश्न किए जाने पर, जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार नहीं करने में असफल रहता है या ऐसा इंकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है उसे पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों में ऐसा कोई इंकार नहीं करने दिया जाएगा।

157. व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया– (1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में लिया जाता है।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाएगा।

(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी:

PTS Kherwara, udaipur

परन्तु इस धारा के अधीन प्रक्रियाएं नब्बे दिनों की अवधि के भीतर यथाशीघ्र पूरी होगी, जो लिखित के कारणों को लेखबद्ध करते हुए एक सौ बीस दिनों तक विस्तारित की जा सकेगी।

158. स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति–मजिस्ट्रेट धारा 156 या धारा 157 के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए, –

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता हैय या

(ख) किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है।

159. मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति– (1) जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश देता है, वहां मजिस्ट्रेट–

(क) उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों;

(ख) यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय, या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा।

(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(3) जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है वहां मजिस्ट्रेट निदेश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे।

160. आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम– (1) जब धारा 155 या धारा 157 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है, उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निदिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे, जितना सूचना में नियत किया जाएगा और उसे इत्तिला देगा कि अवज्ञा करने पर वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 द्वारा उपबंधित शास्ति का भागी होगा।

(2) यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के, जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा या ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश से ऐसी कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है।

(3) इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा।

161. जांच के लंबित रहने तक व्यादेश– (1) यदि धारा 152 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिएं तो वह, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को, मामले का अवधारण होने तक, दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है।

(2) यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे।

(3) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा।

162. मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है–कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह

PTS Kherwara Udaipur

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथापरिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और न उसे चालू रखे।

ग—न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले

163. न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति—(1) उन मामलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निदेश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निदेश से यह संभाव्य है, या ऐसे निदेश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का, या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का, या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश, आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह आदेश निदिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को, जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निदिष्ट किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से दो मास से आगे प्रवृत्त न रहेगा :

परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए, जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त रहेगारू किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से छह मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निदेश के अभाव में समाप्त हो गया होता।

(5) कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद—पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के परंतुक के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है।

(7) जहां उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगीय और यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

घ—स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद

164. जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया— (1) जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और

PTS Kherwara. Udaipur

विवाद की विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने–अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ष्भूमि या जलश पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीनक्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं।

(3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी, जिन्हें मजिस्ट्रेट निदिष्ट करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषयवस्तु पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी।

(4) मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषयवस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का, जो ऐसे पेश किए गए हैं, परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई होय लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषयवस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था रू

परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के, जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात् और उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था।

(5) इस धारा की कोई बात, हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्यवाहियां रोक दी जाएंगी किंतु उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

(6) (क) यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषयवस्तु का विवाद पर ऐसा कब्जा था या उपधारा (4) के परंतुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो वह यह घ ोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक् अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगाय और जब वह उपधारा (4) के परंतुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को, जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है, कब्जा लौटा सकता है।

(ख) इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा (3) में अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा।

(7) जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा।

(8) यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की, जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषयवस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे।

PTS Kherwara, Udaipur

(9) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम समन यह निदेश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज पेश करे।

(10) इस धारा की कोई बात धारा 126 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी।

165. विवाद की विषयवस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति—(1) यदि धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है या यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, या यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है:

परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषयवस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं रही तो वह किसी समय भी कुर्की वापस ले सकता है।

(2) जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषयवस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसी विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो, वह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है या यदि वह ठीक समझता है तो, उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5). के अधीन रिसीवर की होती हैंरू

परंतु यदि विवाद की विषयवस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट—

(क) अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषयवस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे और तत्पश्चात् वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगाय

(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकेगा, जो न्यायसंगत हैं।

166. भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद— (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर, समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा, विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होनी संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और अपने—अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ष्भूमि या जलष पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 164 की उपधारा (2) में दिया गया है।

(2) मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा पेश किया जाए, ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, लेगा जो वह आवश्यक समझे और, यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान हैय और ऐसी जांच के मामले में धारा 164 के उपबंध यावत्शक्य लागू होंगे।

PTS Kherwara, Udaipur

(3) यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान हैं तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का और यथोचित मामले में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश दे सकता है :

परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा (1) के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला की, जिसके परिणामस्वरूप जांच संस्थित की गई है, प्राप्ति के ठीक पहले तीन मास के अंदर नहीं किया गया है या जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में हो या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(4) जब धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह, अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात् कार्यवाही को ऐसे चालू रख सकता है, मानो वह उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई हो और जब उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में धारा 164 के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिए तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्यवाही को ऐसे चालू रख सकता है, मानो वह धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभ की गई हो।

167. स्थानीय जांच– (1) जब कभी धारा 164, धारा 165 या धारा 166 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और घोषित कर सकता है कि जांच के सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा।

(2) ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(3) जब धारा 164, धारा 165 या धारा 166 के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे के पूरे दिए जाएंगे या भाग या अनुपात मेंय और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और अधिवक्ताओं की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते हैं, जिन्हें न्यायालय उचित समझे।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 13- The Public Health and Safety (Day-05) (Session-30)
Paper- 02- Bhartiya Nyay Sanhita 2023 (03 Session)

270. लोक न्यूसेन्स—वह व्यक्ति लोक न्यूसेन्स का दोषी है, जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की सम्पत्ति पर अधिभोग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो, किंतु कोई सामान्य न्यूसेन्स इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है।

271. उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो—जो कोई विधि ाविरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

272. परिद्वेषपूर्ण कार्य, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो—जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि, और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि, जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

273. क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा— जो कोई परिवहन के किसी ढंग को क्वारंटाइन की स्थिति में रखे जाने के, या क्वारंटाइन की स्थिति वाले किसी ऐसे परिवहन का समागम विनियमित करने के, या ऐसे स्थानों के, जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

274. विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण— जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में हानिकर बन जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

275. अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय—जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

276. औषधियों का अपमिश्रण— जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति में अपमिश्रण इस आशय से कि या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी औषधीय प्रयोजन के लिए ऐसे बेची जाएगी या उपयोग की जाएगी, मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण न हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस औषधि या भेषजीय निर्मिति की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह हानिकर हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

prsKherwara, udaipur

277. अपमिश्रित औषधियों का विक्रय—जो कोई यह जानते हुए कि किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई या उसकी क्रिया बदल गई है, या वह हानिकर बन गई है, उसे बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, या किसी औषधालय से औषधीय प्रयोजनों के लिए उसे अनपमिश्रित के तौर पर देगा या उसका अपमिश्रित होना न जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

278. औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय—जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को, भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

279. लोक जल—स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना जो कोई किसी लोक जल—स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या गंदा करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

280. वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना—जो कोई किसी स्थान के वायुमण्डल को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए, जो पड़ोस में निवास या कारबार करते हों, या लोक मार्ग से आते जाते हों अपायकर बन जाए, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

281. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना—जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

282. जलयान का उतावलेपन से चलाना— जो कोई किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाएगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

283. भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन— जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौपरिवाहक को मार्ग भ्रष्ट कर देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सांत वर्ष तक की हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा।

284. अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण—जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जल्यान में जलमार्ग से, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक भाड़े पर तब प्रवहण करेगा, या कराएगा जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो सकता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से. जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

285. लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा— जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की, या अपने भारसाधन के अधीन किसी सम्पत्ति की व्यवस्था करने का लोप करने के द्वारा,

PTS Kherwara. udaipur

किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

286. विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण—जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या जिससे किसी व्यक्ति को, उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो या अपने कब्जे में के किसी विषैले पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

287. अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण—जो कोई अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो या अपने कब्जे में की अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जो ऐसी अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

288. विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण—जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ से,
कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, या अपने कब्जे में की किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जैसी ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

289. मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण— जो कोई किसी मशीनरी से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, या अपने कब्जे में की या अपनी देखरेख के अधीन किसी मशीनरी की ऐसी व्यवस्था करने का जो, ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को किसी अभिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

290. किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या संनिर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण—जो कोई किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने में या सन्निर्माण करने उस निर्माण के ऐसे उपाय करने का, जो उस निर्माण के या उसके किसी भाग के गिरने से मानव जीवन को किसी अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

291. जीव—जन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण— जो कोई अपने कब्जे में के किसी जीव—जन्तु के संबंध में ऐसे उपाय करने का, जो ऐसे जीव—जन्तु से मानव जीवन को किसी अभिसम्भाव्य संकट या घ ाोर उपहति के किसी अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो. जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से. दण्डित किया जाएगा।

292. अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड—जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेन्स करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

293. न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना—जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जिसको किसी न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट किए जाने पर, किसी लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति करेगा, या उसे चालू रखेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

294. अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय आदि—(1) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में किसी अंतर्वस्तु का प्रदर्शन भी है, को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसका या (जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां) उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्र रूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए जिसके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए सम्भाव्य है।

(2) जो कोई—

(क) किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह किसी भी रीतियों में कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करेगा, या उसे विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचेगा, उत्पादित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगाय या

(ख) किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए करेगा या यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदर्शित या, किसी प्रकार से परिचालित की जाएगीय या

(ग) किसी ऐसे कारबार में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा, जिस कारबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची जाती, उत्पादित की जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, आयात की जाती, निर्यात की जाती, प्रवहण की जाती, लोक प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती हैं, या

(घ) यह विज्ञापित करेगा या किन्हीं साधनों द्वारा वे चाहे कुछ भी हों यह ज्ञात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है, या लगने के लिए तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, या

(ङ) किसी ऐसे कार्य को, जो इस धारा के अधीन अपराध है, करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा,

प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा।

अपवाद—इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा, —

(क) किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति—

(i) जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्य ा या सर्वजन सम्बन्धी अन्य उद्देश्यों के हित में है; या

PTS Kherwara, Udaipur

(ii) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है;
(ख) किसी ऐसे रूपण जो,–

(i) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमेंय या

(ii) किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के प्रववण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर,
तक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हों।

295. बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि– जो कोई, किसी बालक को कोई
ऐसी अश्लील वस्तु, जो धारा 294 में निर्दिष्ट है, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्विवतीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

296. अश्लील कार्य और गाने जो कोई, –
(क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगाय या
(ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवांड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

297. लाटरी कार्यालय रखना– (1) जो कोई ऐसी कोई लाटरी, जो न तो राज्य लाटरी
हो और न तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी हो, निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :
(2) जो कोई ऐसी लाटरी में किसी टिकट, लाट, संख्यांक या आकृति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी राशि को देने की, या किसी माल के परिदान को, या किसी बात को करने की, या किसी बात से प्रविरत रहने की कोई प्रस्थापना प्रकाशित करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

PTS Kherwara, udaipur

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960
Prevention of Cruelty to Animals Act,1960

2. परिभाषाएँ इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(ग) "बन्द पशु" से तात्पर्य कोई भी पशु से है (जो पालतू पशु नहीं है) जो बन्दी अवस्था या बन्धन वह चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी में हो अथवा जिसे बन्दी अवस्था या बन्धन से उसके पलायन को अवरूद्ध या निरूद्ध करने हेतु किसी उपकरण या युक्ति से अधीनस्थ किया गया हो अथवा जिसके पंख काटे गए हों अथवा जिसे अपंग किया गया हो या किया गया प्रतीत होता हो;

(घ) "पालतू पशु" से तात्पर्य कोई भी पशु जिसे पाला गया है अथवा जिसे मनुष्य के उपयोग के हेतु किसी प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए पर्याप्ततः पालतू कर लिया गया है या किया जा रहा है अथवा जो यद्यपि न तो उसे इस प्रकार पालतू किया गया हैय न किया जा रहा है और न किया जाना आशयित है, वास्तव में पूर्णतया या अंशतः पालतू है या हो गया है;

(छ) "फूँका या दूमदेव" में ऐसी कोई भी प्रक्रिया समाविष्ट है जिसके द्वारा दुग्धवती पशु की जननेन्द्रिय में हवा या अन्य कोई पदार्थ उण आशय से प्रविष्ट किया जाता है कि पशु के भीतर जो भी दूध हो बाहर निकल आवे;

11. पशुओं के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना– (1) यदि कोई व्यक्ति–

(क) किसी पशु को पीटता है, लात मारता है दौड़ा–दौड़ा का थका डालता है बहुत बोझ लाद देता है, शारीरिक यंत्रणा देता है अथवा अन्यथा उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत करे अथवा किसी पशु के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है अथवा स्वामी होते हुए, होने देता है;

(ख) '{किसी पशु को किसी ऐसे काम या परिश्रम में या किसी प्रयोजन के लिए लगाता है जो अपनी आयु या किसी रोग,} निर्बलता, घाव, फोड़ा, फुन्सी के कारण अन्यथा अन्य किसी कारण से इस प्रकार के काम में लाए जाने के उपयुक्त नहीं है अथवा स्वामी होते हुए, ऐसे किसी अक्षम पशु को इस प्रकार काम में लाए जाने की अनुमति देता है; अथवा

(ग) जान–बूझकर तथा अयुक्तियुक्त रूप से किसी पशु को हानिकारक औषधियाँ या पदार्थ खिलाता–पिलाता है अथवा जान–बूझकर किसी पशु द्वारा ऐसी अवधि या पदार्थ ग्रहण किए जाने का कारण भूत होता है या होने का प्रयास करता है; अथवा

(घ) किसी पशु को चाहे यान में या उस पर अथवा नहीं, इस रीति या स्थिति में वहन करता है या ले जाता है जिससे कि वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हो; अथवा

(ड.) किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे या भाजन में रखता है या बन्द करता है जिसकी कि ऊँचाई, लम्बाई और चौड़ाई माप में इतनी पर्याप्त नहीं है कि उस पशु को हिलने–डुलने या युक्तियुक्त अवसर प्राप्त हो सके; अथवा

(च) किसी पशु को अयुक्तियुक्त काल तक जंजीर या रस्सी से बांधे रखता है अथवा अयुक्तियुक्त रूप से छोटी या अयुक्तियुक्त रूप से भारी जंजीर या रस्सी से बाँधकर रखता हैय अथवा (छ) स्वामी होते हुए, किसी कुत्ते को जो नित्यतः जंजीर से बंधा रहता है या संकीर्ण परिरोध में रखा जाता है, युक्तियुक्त रूप से घुमाने–फिराने या घुमवाने–फिरवाने में अवहेलना करता है; अथवा

(ज) किसी पकड़े हुए पशु का स्वामी होते हुए उस पशु को पर्याप्त खाना–पीना या आश्रय नहीं देता है; अथवा

PTS Kherwara, Udaipur

(झ) युक्तियुक्त कारण के बिना किसी पशु का इन परिस्थितियों में परित्याग करना जिनसे यह सम्भाव्य हो जाता है कि उसे भूख और प्यास के कारण पीडा सहन करनी होगीः अथवा
(ञ) किसी पशु को जिसका की वह स्वामी है जान–बूझकर किसी सड़क पर मुक्त रूप से जाने देता है जबकि वह पशु सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रस्त है अथवा युक्तियुक्त कारण के बिना किसी रोगग्रस्त या अपंग पशु को. जिसका वह स्वामी है. किसी सड़क पर मरने देता हैः अथवा
आधिपत्य में रखता है जो कि अंग–विच्छेद, भूख, प्यास, अतिसंकूल या अन्य दुर्व्यवहार के कारण
(ट) किसी ऐसे पशु को विक्रय के लिए प्रदर्शित करता है या युक्तियुक्त कारण के बिना अपने पीड़ाग्रस्त है; अथवा
1{(ठ) किसी पशु को विकृत करता है या किसी पशु को (आवारा कुत्तों को सम्मिलित करते हुए) ह्रदय में स्ट्राइकनाइन इंजेक्शनों की पद्धति के प्रयोग द्वारा अथवा किसी अन्य आवश्यक रूप से निर्दयतापूर्वक रीति में मार डालता है; अथवा
(ड) केवल मनोरंजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से–
(प) किसी पशु का निरोधन करता है या कराता है (किसी टाइगर या अन्य अभयारण्य में चारे के रूप में किसी पशु को बाँधने को सम्मिलित करते हुए) जिससे कि वह किसी अन्य पशु का आहार बन सके; या
(पप) किसी पशु को लड़ने या अन्य पशु को सताने को उद्दीप्त करता है; अथवा}
(ढ) 2{''''} पशु युद्ध या किसी पशु को संत्रस्त करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान को विन्यस्त करता है प्रयोग में लाता है या उसके संबंध में कार्य करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजन के लिए किसी स्थान को प्रयोग में लाए जाने की अनुज्ञा देता है या प्रस्तुत करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजनों के लिए रखे गए या प्रायोजित किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करता है; अथवा
(ण) किसी लक्ष्यभेद प्रतियोगिता या प्रतिद्वन्द्विता को दुष्प्रेरित करता है या उसमें भाग लेता है जिससें कि ऐसे लक्ष्यभेद के प्रयोजनार्थ पशुओं को बन्दी अवस्था से मुक्त किया जाता है,
3 { वह प्रथम अपराध की दशा मे, जुर्माने से जो दस रुपयों से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रुपये तक का हो सकेगा तथा पहले अपराध से तीन वर्ष के भीतर कारित किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में जुर्माने से जो पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा या तीन मास की अवधि के कारावास से या दोनों से दंडनीय होगा।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए स्वामी के लिए यह माना जाएगा कि उसने अपराध किया है, यदि वह ऐसे अपराध की दृष्टि से युक्तियुक्त सावधानी तथा देख–रेख करने में चूक करता है;
परन्तु जब स्वामी को निर्दयता की अनुमति देने के लिए केवल इस लिए दोषी ठहराया जाता है कि ऐसी सावधानी बरतने में देख–रेख करने में उससे चूक हुई है, तो वह अर्थदंड के विकल्प के बिना, कारावास के दंड का भागी हो।
(3) इस धारा की कोई बात
(क) निर्दिष्ट रीति में किसी पशु के सींग काटने अथवा बधिया करने अथवा दाहांकित करने अथवा नकेल बाँधने के प्रति, अथवा
(ख) वधशालाओं में अथवा ऐसे अन्य उपायों द्वारा जैसे विहित किए जाएं आवारा कुत्तों के विनाश के प्रति, अथवा
(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्राधिकार के अधीन किसी पशु के उन्मूलन या विनाश के प्रति, अथवा
(घ) अध्याय 4 विषयक किसी मामले के प्रति, अथवा
(ड.) मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में किसी पशु के विनाश या विनाश हेतु तैयारी के क्रम में किसी कार्य के लिए जाने या उसके लोप के प्रति तब तक कि उस विनाश या तैयारी में अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुँचाये जाने का योग न हो, लागू नहीं होगा।

PTS Kherwara, Udaipur

टिप्पणियां

यदि कोई व्यक्ति पशुओं के साथ क्रूरता सम्बन्धी निम्न में से कोई कृत्य करता है अथवा स्वामी होते हुए, इस प्रकार के कृत्य किए जाने की अनुमति देता है, वह प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से जो दस रुपयों से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रुपये तक का हो सकेगा तथा पहले अपराध से तीन वर्ष के भीतर किए गए किसी द्वितीय अपराध की दशा में जुर्माने से जो पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा या तीन मास की अवधि के कारावास से या दोनों से दंडनीय होगा–

(1) पशु को पीटता है, लात मारता है दौड़ा–दौड़ा कर थका डालता है बहुत बोझ लाद देता है, शारीरिक यंत्रणा देता है अथवा उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना देता है।

(2) किसी पशु को जो किसी रोग, निर्बलता, घाव, फोड़ा, फुन्सी के कारण काम में लाए जाने के उपयुक्त नहीं है ऐसे किसी अक्षम पशु को इस प्रकार काम में लाए जाने की अनुमति देता है।

(3) जानबूझकर कोई हानिकारक औषधियाँ या पदार्थ खिलाता–पिलाता है।

(4) किसी पशु को इस रीति में वहन करता है या ले जाता हे जिससे कि वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हो।

(5) किसी पशु को किसी ऐसे पिंजरे में रखता है या बन्द करता है जिसकी कि ऊँचाई, लम्बाई और चौड़ाई माप में इतनी पर्याप्त नहीं है कि उस पशु को हिलने–डुलने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त हो सके।

(6) किसी पशु को अयुक्तियुक्त काल तक जंजीर से बँधे रखता है, किसी कुत्ते को जो नित्यतः जंजीर से बंधा रहता है युक्तियुक्त रूप सें धुमाने–फिराने या घुमवाने फिरवाने में अवहेलना करता है।

(7) किसी पशु का स्वामी होते हुए उस पशु को पर्याप्त खाना–पीना या आश्रय नहीं देता है।

(8) बिना किसी उचित कारण के किसी पशु का परित्याग करना जिनसे यह सम्भाव्य हो कि उसे भूख और प्यास के कारण पीड़ा सहन करनी होगी।

(9) किसी पशु को जिसका की वह स्वामी है किसी लोक स्थान जाने देता है जबकि वह पशु सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रस्त है।

(10) अंग–विच्छेद, भूख, प्यास, अतिसंकुल या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ाग्रस्त है पशु का विक्रय के लिए प्रदर्शित करता है।

(11) किसी पशु को विकृत करता है या किसी पशु को आवारा कुत्तों के सहित, को निर्दयतापूर्वक मार डालता है।

(12) केवल मनोरंजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से किसी पशु का निरोधन करता है जिससे कि वह किसी अन्य पशु का आहार बन सके।

(13) अपने व्यापार हेतु पशु युद्ध या किसी पशु को संत्रस्त करने के लिए किसी स्थान को विन्यस्त करता है प्रयोग में लाता है या उसके संबंध में कार्य करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजन के लिए किसी स्थान को प्रयोग में लाए जाने की अनुमति देता है या प्रस्तुत करता है अथवा ऐसे किसी प्रयोजनों के लिए रखे गए या प्रयोजित किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करता है।

(14) किसी लक्ष्यभेद प्रतियोगिता या प्रतिद्वन्द्विता को दुष्प्रेरित करता है या उसमें भाग लेता है जिससे कि ऐसे लक्ष्यभेद के प्रयोजनार्थ पशुओं को बन्दी अवस्था से मुक्त किया जाता है।

12. फूँका या दूमदेव के प्रयोग के लिए दंड – यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य का दूध देने वाले पर फूँका '{या दूमदेव कहलाने वाली क्रिया या दूध देने के सुधार कोई अन्य क्रिया (किसी पदार्थ के इंजेक्शन सम्मिलित करते हुए)} का प्रयोग करता है अथवा अपने कब्जे के अधीन या नियन्त्रणाधीन ऐसे किसी पशु पर ऐसी क्रिया होने देता है, तो वह जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकता है अथवा दो वर्ष की अवधि के कारावास से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा और उस पशु को जिस पर ऐसी क्रिया की गई है सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिया जाएगा।

PTS Kherwara, udaipur

31. अपराध का संज्ञान– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ठ), खंड (ढ), या खंड (ण) या धारा 12 के अधीन दंडनीय अपराध उस संहिता के अर्थ में असंज्ञेय अपराध होगा।

32. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति– (1) यदि उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न होने वाले पुलिस पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे पशु के संबंध में जिसका कि उल्लेख धारा 30 में है किसी के स्थान पर किया जा रहा है या किया जाने वाला है या किया जा चुका है अथवा यह कि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में किसी ऐसे पशु की खाल रखे हुए जिसमें कि सिर की खाल का कोई भाग जुड़ा हुआ है तो वह ऐसे स्थान में अथवा किसी स्थान में जहाँ पर कि ऐसे खाल होने का विश्वास करने के लिए उसके पास कारण हैं प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा ओर ऐसी खाल को अथवा किसी वस्तु या पदार्थ को जो ऐसा अपराध करने के लिए प्रयोग किया गया हो या प्रवेश किए जाने के लिए आशयित हो, हस्तगत कर सकेगा।

(2) यदि वह उपनिरीक्षक की श्रेणी से निम्न के न होने वाले पुलिस पदाधिकारी है कि उसके अधिक्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी पशु पर फूँका या दूमदेव या धारा 12 में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी अन्य क्रिया का प्रयोग अभी–अभी किया जा चुका है या किया जा रहा हो तो वह ऐसे किसी स्थान में जहाँ पर कि ऐसे पशु के होने पर विश्वास करने के लिए उसके पास कारण है, प्रवेश कर सकेगा और उस पशु को हस्तगत कर सकेगा और उस क्षेत्र के जिसमें कि पशु अभिगृहीत है, या किया गया है। भारसाधक पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परीक्षण के लिए उसे प्रस्तुत कर सकेगा।

36. अभियोजन की मर्यादा अवधि– इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन अपराध किए जाने की तिथि से तीन मास के अवसान के पश्चात् संस्थित नहीं किया जाएगा।

PTS Kherwara Udaipur

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
Prevention of Food Adulteration Act, 1954

2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

*****[(i) "अपद्रव्य" से कोई सामग्री अभिप्रेत है जिसके उपयोग अपमिश्रण के प्रयोजनों के लिए किया जाता है या किया जा सकता है:

*****[(iक), "अपमिश्रित" कोई खाद्य पदार्थ अपमिश्रित समझा जाएगा–

(क) यदि किसी विक्रेता द्वारा विक्रीत वह पदार्थ ऐसे स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी का नहीं है जैसा क्रेता द्वारा मांगा गया है और उसके लिए हानिकर है अथवा ऐसे स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी का नहीं है जैसा होना वह तात्पर्यित या व्यपदिष्ट है;।

(ख) यदि उस पदार्थ में कोई अन्य चीज है जो उसके स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी को हानिकर रूप से प्रभावित करती है अथवा यदि वह पदार्थ इस प्रकार प्रसंस्कृत है कि उसका हानिकर प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि उस पदार्थ के स्थान पर पूर्णतः या भागतः कोई घटिया या अपेक्षाकृत सस्ती चीज प्रतिस्थापित की गई है जिससे उसके स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी पर हानिकर प्रभाव पड़ता है:

(घ) यदि उस पदार्थ के किसी घटक को पूर्णतः या भागतः निकाल लिया गया है जिससे उसके स्वरूप, तत्त्व या क्वालिटी पर हानिकर प्रभाव पड़ता है;

(ङ) यदि उस पदार्थ को अस्वच्छ परिस्थितियों में बनाया, पैदा किया या रखा गया है जिससे वह संदूषित या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है;

(च) यदि वह पदार्थ पूर्णतः या भागतः गंदे, दूषित, 5******* सड़े गले या रुग्ण पशुजन्य या वनस्पतिजन्य तत्त्व से बना है या कीटग्रस्ट है या अन्यथा मानव उपयोग के अनुपयुक्त है;

(छ) यदि वह पदार्थ रुग्ण पशु से अभिप्राप्त है:

(ज) यदि उस पदार्थ में कोई ऐसा विषैला या अन्य संघटक अन्तर्विष्ट है जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर बना देता है;

(झ) यदि उस पदार्थ का आधान पूर्णतः या भागतः किसी ऐसे विषैले या हानिकारक तत्त्व से बना है जो उसकी अन्तर्वस्तुओं को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बना देता है;

(ञ) यदि उस पदार्थ में उसके लिए विहित से भिन्न कोई रंजक द्रव्य विद्यमान है या यदि विहित रंजक द्रव्य की मात्रा जो उस पदार्थ में विद्यमान है, मान्य भिन्नता की विहित सीमा के अन्दर नहीं है:

अधिक है;

(ट) यदि उस पदार्थ में कोई ऐसी परिरक्षी हैं जो प्रतिषिद्ध है या अनुज्ञात परिरक्षी विहित सीमाओं से

(ठ) यदि उस पदार्थ की क्वालिटी या शुद्धता विहित मान से कम है या उसके घटक इतने परिमाण में विद्यमान हैं जो मान्य भिन्नता की विहित सीमा के अन्दर नहीं है जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर बन जाता है;

(ड) यदि उस पदार्थ की क्वालिटी या शुद्धता विहित मान से कम है या उसके घटक इतने परिमाण में विद्यमान हैं जो मान्य भिन्नता की विहित सीमा के अन्दर नहीं है किन्तु जिससे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं बनाता है:

परन्तु जहां किसी ऐसे पदार्थ की जो प्राथमिक खाद्य है, क्वालिटी या शुद्धता, विहित मान से कम है या उसके घटक इतने परिमाण में विद्यमान हैं जो मान्य भिन्नता की विहित सीमा के अन्दर नहीं हैं और इन दोनों ही दशाओं में ऐसा केवल प्राकृतिक कारणों से होता है और मानवीय नियंत्रण के बाहर है तब ऐसे पदार्थ को इस उपखण्ड के अर्थ में अपमिश्रित नहीं समझा जाएगा ।

PTS Kherwara, Udaipur

स्पष्टीकरण (1) जहां दो या अधिक प्राथमिक खाद्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं और उनसे बनने वाला खाद्य पदार्थ–

(क) ऐसे नाम से भंडार में रखा जाता है या उसका विक्रय या वितरण किया जाता है जिससे उसके संघटकों का द्योतक होता है, और

(ख) स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है,

वहां ऐसे बना हुआ पदार्थ इस खण्ड के अर्थ में अपमिश्रित नहीं समझा जाएगा

(ii) "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला" से धारा 4 के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट कोई प्रयोगशाला या संस्थान अभिप्रेत है;

(iii) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय खाद्य मानक समिति अभिप्रेत है;

(iv) "केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक" से केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, और इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सब या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्समान रीति से नियुक्त कोई व्यक्ति इसके अन्तर्गत है:

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में किसी प्रकार का वित्तीय हित हैय,

(v) "खाद्य" से औषधि और जल से भिन्न ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है जो खाद्य या पेय के रूप में मानव उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसके अन्तर्गत–

(क) ऐसा काई पदार्थ है जो मानवखाद्य की रचना या निर्माण में सामान्यतः मिथित होता है या उपयोग में लाया जाता है,

(ख) कोई वासक या स्वादवर्धक द्रव्य है, और

(ग) कोई ऐसा अन्य पदार्थ है जिसे केन्द्रीय सरकार उसके उपयोग, स्वरूप, उसकी अन्तर्वस्तु या क्वालिटी का ध्यान रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाद्य घ ाोषित करे ;

(vi) "खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" से किसी राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक या स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधि ानियम के अधीन खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त किया जाता है;

(vii) "स्थानीय क्षेत्र" से कोई नगरीय या ग्राम्य क्षेत्र, अभिप्रेत है, जिसे ख्केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थानीय क्षेत्र घ ाोषित किया हो;

(viii) 'स्थानीय प्राधिकारी" से–

(1) किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र की दशा में, जो

(क) नगरपालिका है, नगरपालिका बोर्ड या नगरपालिका निगम अभिप्रेत है;

(ख) छावनी है, छावनी प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) अधिसूचित क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र समिति अभिप्रेत है;

(2) अन्य स्थानीय क्षेत्र की दशा में ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो [केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाए;

PTS Kherwara, Udaipur

(viiiक) किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में "स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र में ऐसे पदनाम से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक नियुक्त किया जाता है;

(viiiख) "विनिर्माण" के अन्तर्गत किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण की प्रासंगिक या आनुषंगिक कोई प्रक्रिया भी है;,

(ix) "मिथ्या छाप वाला" कोई खाद्य पदार्थ मिथ्या छाप वाला समझा जाएगा—

(क) यदि वह किसी अन्य खाद्य पदार्थ की, जिसके नाम से वह विक्रय किया जाता है, नकल है या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित है या उससे इस प्रकार मिलता जुलता है कि धोखा हो जाए और उस पर उसका असली रूप उपदर्शित करने के लिए स्पष्ट और सहजदृश्य रूप से लेबल नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि उसे मिथ्या रूप से किसी स्थान या देश की उपज कहा जाता है;

(ग) यदि वह ऐसे नाम से विक्रीत किया जाता है जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ का है;

(घ) यदि वह इस प्रकार रंजित, वासित या विलेपित, चूर्णकृत या पालिशकृत है कि यह बात छिप जाती है कि वह खराब है अथवा यदि वह पदार्थ उससे अच्छा और अधिक मूल्य का प्रकट किया जाता है जैसा कि वह वास्तव में है;

(ङ) यदि लेबल पर या अन्यथा उसके बारे में मिथ्या दावे किए जाते हैं;

(च) यदि, ऐसे पैकेजों में विक्रय किए जाने पर जो विनिर्माता या उत्पादक के द्वारा या उसके कहने पर मोहरबन्द या तैयार किए गए हैं और जिनमें उसका नाम और पता है, इस अधिनियम के अधीन मान्य भिन्नताओं के अन्दर पैकेज की अन्तर्वस्तुओं को उसके बाहर सहजदृश्य और सही रूप से कथित नहीं किया जाता है;

(छ) यदि उसको अन्तर्विष्ट करने वाले पैकेज या उस पैकेज के लेबल में उसमें अन्तर्विष्ट संघटकों या तत्वों के बारे में कोई ऐसा कथन, डिजाइन या अभिलक्षण है जो किसी सारवान् विशिष्टि में मिथ्या या भुलावा देने वाली हैय या यदि पैकेज अपनी अन्तर्वस्तुओं के बारे में अन्यथा धोखा देने वाला है;

(ज) यदि उसको अन्तर्विष्ट करने वाले पैकेज या उस पैकेज के लेबल में उस पदार्थ के विनिर्माता या उत्पादक के रूप में किसी कल्पित व्यक्ति या कम्पनी का नाम है;

(झ) यदि उसका विशेष आहार के रूप में उपयोग होना तात्पर्यित है या व्यपदिष्ट है तो सिवाय उस दशा के जिसमें उसके विटामिन, खनिज या अन्य आहार तत्त्वों के बारे में ऐसी जानकारी, जैसी विहित की जाए ऐसे उपयोगों के लिए उसके गुणों के बारे में उसके क्रेता को पर्याप्त रूप से सूचित करने के लिए उसके लेबल में दी गई है;

(ञ) यदि उसमें कोई कृत्रिम वासक कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी उस तथ्य का कथन करने वाले घोषणात्मक लेबल के बिना या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के उल्लंघन में अन्तर्विष्ट है:

(ट) यदि उस पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार लेबल नहीं लगाया गया है;

(x) "पैकेज" से ऐसा बक्स, बोतल, संदूकची, टिन, बैरल, डिब्बा, पात्र, बोरी, थैला, रैपर या कोई अन्य चीज अभिप्रेत है जिसमें खाद्य पदार्थ रखा या पैक किया जाता है;

(xi) "परिसर" के अन्तर्गत कोई ऐसी दुकान, स्टाल या स्थान है, जहां कोई खाद्य पदार्थ विक्रीत किया जाता है या विक्रय के लिए विनिर्मित किया जाता है या भंडार में रखा जाता है;

(xii) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

उपज हैय,

PTS Kherwara, Udaipur

(xiiक) "प्राथमिक खाद्य" से ऐसा कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है जो प्राकृतिक रूप में कृषि या बागवानी की।

(xiii) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "विक्रय" से मानव उपभोग या उपयोग के लिए या विश्लेषण के लिए किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय अभिप्रेत है चाहे वह नकद या उधार पर हो या विनिमय के रूप में हो, या थोक में या फुटकर में हो, और किसी ऐसे पदार्थ के विक्रय के लिए करार करना या विक्रय के लिए प्रस्थापना करना या उसे विक्रय के लिए अभिदर्शित करना या विक्रय के लिए कब्जे में रखना इसके अन्तर्गत है और किसी ऐसे पदार्थ को विक्रीत करने का प्रयत्न भी इसके अन्तर्गत आता है;

(xiv) "नमूने" से किसी खाद्य पदार्थ का नमूना अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन लिया गया है;

(xv) "अस्वास्थ्यकर" और "हानिकर" शब्दों से जब वे किसी खाद्य पदार्थ के संबंध में प्रयुक्त हों क्रमशः अभिप्रेत है कि वह पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अपहानिकर या मानव उपयोग के विरुद्ध है।

5. कतिपय खाद्य पदार्थों के आयात का प्रतिषेध– कोई व्यक्ति निम्नलिखित का भारत में आयात नहीं करेगा–

(i) कोई अपमिश्रित खाद्य;

(ii) कोई मिथ्या छाप वाला खाद्य;

(iii) कोई खाद्य पदार्थ जिसके आयात के लिए अनुज्ञप्ति विहित की गई हो, इसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसरण से अन्यथा; और

(iv) इस अधिनियम के किसी अन्य उपवन्ध के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में कोई खाद्य पदार्थ।

6. सागर सीमाशुल्क और सीमाशुल्क अधिकारियों की शक्तियों से सम्बद्ध विधि का लागू होना– (1) सागर सीमाशुल्कों से और ऐसे मालों से, जिनका आयात सागर सीमाशुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8) की धारा 18 द्वारा प्रतिषिद्ध है, सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त विधि, इस अधिनियम की धारा 16 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उन खाद्य पदार्थों के बारे में लागू होगी जिनका आयात इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है और सीमाशुल्क अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों की, जो तद्वारा [सीमाशुल्क आयुक्त] और अन्य सीमाशुल्क अधिकारियों पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन के लिए उस अधिनियम के अधीन सशक्त है, शक्तियां ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में वे ही होंगी, जो कि उनकी पूर्वोक्त जैसे माल के बारे में तत्समय हैं।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ख्सीमाशुल्क आयुक्त) या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सरकार का कोई अधिकारी किसी ऐसे आयात पैकेज को निरुद्ध कर सकेगा जिसके बारे में उसे संदेह है कि उसके भीतर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ अन्तर्विष्ट है, जिसका आयात इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध है और ऐसे निरोध की रिपोर्ट केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक से तत्काल करेगा और यदि उसके द्वारा अपेक्षित किया जाए तो उस पैकेज को या उसमें पाए गए किसी सन्देहजनक खाद्य पदार्थ के नमूने को उक्त प्रयोगशाला को भेजेगा।

7. कतिपय खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, विक्रय आदि का प्रतिषेध– कोई व्यक्ति स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित का विक्रयार्थ विनिर्माण, या भंडारकरण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा–

(i) कोई अपमिश्रित खाद्यः

PTS kherwara, udaipur

(ii) कोई मिथ्या छाप वाला खाद्यः
से अन्यथाः (पपप) कोई खाद्य पदार्थ जिसके विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति विहित की गई है, उस अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार
(iv) कोई खाद्य पदार्थ जिसका तत्समय विक्रय ख्सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है;
(v) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में, कोई खाद्य पदार्थय ख्या
(vi) कोई अपद्रव्य ।

स्पष्टीकरण– यदि कोई व्यक्ति किसी अपमिश्रित खाद्य या मिथ्या छाप वाले खाद्य अथवा खण्ड (iii) या खण्ड (iv) या खण्ड (v) में निर्दिष्ट किसी खाद्य पदार्थ का, उससे विक्रयार्थ किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण के लिए, भंडारकरण करता है तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे खाद्य का भंडारकरण किया है।

10. खाद्य निरीक्षकों की शक्तियां –(1) खाद्य निरीक्षक की निम्नलिखित शक्तियां होंगी–
(क) निम्नलिखित से किसी खाद्य पदार्थ के नमूने लेना–
(i) ऐसे पदार्थ का विक्रय करने वाला कोई व्यक्तिः
(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे पदार्थ को किसी क्रेता या परेषिती के पास पहुंचाने, उसे परिदान करने या परिदान के लिए तैयार करने में लगा है;
(iii) कोई परेषिती जबकि कोई ऐसा पदार्थ उसे परिदत्त हो गया हो; और
(ख) ऐसे नमूने को उस स्थानीय क्षेत्र के, जिसके अन्दर ऐसा नमुना लिया गया है, लोक विश्लेषक के पास विश्लेषणार्थ भेजना;
(ग) सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में, किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय प्रतिषिद्ध करना।

स्पष्टीकरण– जो व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ को अपने ही उपभोग के लिए क्रय करता है या प्राप्त करता है, वह खण्ड (क) के उपखंड (iii) के प्रयोजनों के लिए ष्परेषितीष के अन्तर्गत नहीं है ।

(2) कोई खाद्य निरीक्षक ऐसे किसी स्थान में जहां कोई खाद्य पदार्थ विनिर्मित किया जाता है या विक्रय के लिए भंडार में रखा जाता है अथवा विक्रय के लिए किसी अन्य खाद्य पदार्थ के विनिर्माण के लिए भंडार में रखा जाता है अथवा विक्रय के लिए अभिदर्शित या प्रदर्शित किया जाता है अथवा जहां कोई अपद्रव्य विनिर्मित किया जाता है या रखा जाता है, प्रवेश कर सकेगा, और उसका निरीक्षण कर सकेगा तथा ऐसे खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य के नमूने विश्लेषण के लिए ले सकेगा :

परन्तु यदि कोई खाद्य पदार्थ, जो प्राथमिक खाद्य पदार्थ है, ऐसे खाद्य के रूप में विक्रय के लिए आशयित नहीं है तो इस उपधारा के अधीन उसका कोई नमूना नहीं लिया जाएगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के खण्ड (क) या उपधारा (2) के अधीन कोई नमूना लिया गया है, वहां उस दर पर, जिस पर वह पदार्थ लोगों को प्रायः विक्रीत किया जाता है उसका परिकलित दाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे वह लिया गया है।

(4) यदि खाद्य के लिए आशयित कोई पदार्थ किसी खाद्य निरीक्षक को अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला प्रतीत हो, तो वह ऐसे पदार्थ को इसलिए अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा, या विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा सकेगा कि उसके बारे में ऐसी कार्यवाही की जा सके जैसी इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है, श ख्और इनमें से प्रत्येक दशा में वह ऐसे पदार्थ का नमूना लेगा और उसे विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजेगा:

PTS Kherwara, udaipur

परन्तु जहां खाद्य निरीक्षक ऐसे पदार्थ को विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है वहां वह ऐसे पदार्थ के मूल्य के बराबर धनराशि के लिए एक या अधिक प्रतिभुओं सहित जैसा खाद्य निरीक्षक ठीक समझे एक बन्धपत्र देने के लिए विक्रेता से अपेक्षा कर सकेगा और विक्रेता तदनुसार बंधपत्र देगा ।

(4क) जहां उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत किया गया कोई खाद्य पदार्थ विनश्वर प्रकृति का है और स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ का इतना क्षय हो गया है कि वह मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं है वहां उक्त प्राधिकारी विक्रेता को लिखित सूचना देकर, उसे नष्ट करा सकेगा ।

(5) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत ऐसे किसी पैकेज को, जिसमें कोई खाद्य पदार्थ अन्तर्विष्ट है, तोड़ कर खोलने या ऐसे किन्हीं परिसरों के द्वार को, जहां कोई खाद्य पदार्थ विक्रयार्थ रखा है, तोड़ कर खोल लेने की शक्ति भी है:

परन्तु पैकेज या द्वार को तोड़ कर खोलने की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाएगा जब, यथास्थिति, पैकज का स्वामी या उसका भारसाधक या परिसर का अधिभोगी कोई अन्य व्यक्ति, जो वहां उपस्थित है, पैकज या द्वार खोलने के लिए कहे जाने पर उसे खोलने से इन्कार करे और इन दोनों दशाओं में से किसी में भी ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ही ऐसा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश और इसके निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने में खाद्य निरीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), (अब बीएनएसएस 2023) के उन उपबंधों का यावत्साध्य अनुसरण करेगा जो उस संहिता के अधीन निकाले गए तलाशी वारण्ट का निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से सम्बद्ध है।

(6) खाद्य निरीक्षण किसी अपद्रव्य का, जो किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माता या वितरक या व्यवहारी के कब्जे में या उस हैसियत में उसके अधिभोगाधीन किसी परिसर में पाया जाए। और जिसके कब्जे के बारे में वह खाद्य निरीक्षक को समाधानप्रद लेखा–जोखा देने में असमर्थ हो तथा किन्हीं लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों का, जो उसके कब्जे या नियंत्रण में पाई जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हों, अभिगृहीत कर सकेगा और ऐसे अपद्रव्य का एक नमूना, विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक को भेजा जा सकेगा :

परन्तु खाद्य निरीक्षक ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावजों का अभिग्रहण उस प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा जिसके वह शासकीय रूप से अधीनस्थ है ।

(7) जहां खाद्य निरीक्षक उपधारा (1) के खण्ड (क), उपधारा (2), उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन कोई कार्यवाही करता है, वहां वह एक या अधिक व्यक्तियों को उस समय जब कार्यवाही की जानी है उपस्थित होने के लिए कहेगा और उसके या उनके हस्ताक्षर कराएगा।

(7क) जहां उपधारा (6) के अधीन किन्हीं लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण किया जाता है वहां खाद्य निरीक्षक, अभिग्रहण की तारीख के अधिक से अधिक तीस दिन की अवधि के अन्दर उन्हें उस व्यक्ति को, जिससे, उनका अभिग्रहण किया गया था, उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रमाणित उनकी प्रतियां या उनके उद्धरण लेने के पश्चात् लौटा देगा:

परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार प्रमाणित करने से इन्कार करता है और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाया जाता है वहां ऐसी लेखाबहियां या अन्य दस्तावेजें उसको तभी लौटाई जाएंगी जब न्यायालय द्वारा प्रमाणित उनकी प्रतियां या उनके उद्धरण ले लिए गए हों।

(7ख) जब किसी अपद्रव्य का अभिग्रहण उपधारा (6) के अधीन किया जाता है तब यह साबित करने का भार कि वह अपद्रव्य अपमिश्रण के प्रयोजनों के लिए आशयित नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसे अपद्रव्य का अभिग्रहण किया गया था ।

(8) कोई खाद्य निरीक्षक उस व्यक्ति का, जिससे कोई नमूना लिया गया है, या खाद्य पदार्थ अभिगृहीत किया गया है, सही नाम और निवास–स्थान अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ (दण्ड प्रक्रिया संहिता,

PTS Kherwara, Udaipur

1973 (1974 का 2) की धारा 42 (अब बीएनएसएस की धारा 39) के अधीन पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(9) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई ऐसा खाद्य निरीक्षक जो–

(क) तंग करने के लिए और संदेह के किन्हीं युक्तियुक्त आधारों के बिना किसी खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य को अभिगृहीत करेगा; या,

(ख) किसी व्यक्ति को क्षतिकर कोई अन्य कार्य अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना करेगा कि ऐसा कार्य उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक है,

वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा। दण्डनीय होगा।

16. शास्तियां–(1) उपधारा (1क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि यदि कोई व्यक्ति –

(क) चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का–

(i) जो धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ड) के अर्थ में अपमिश्रित है या उस धारा के खण्ड (ix) के अर्थ में मिथ्या छाप वाला है अथवा जिसका विक्रय इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों के अधीन अथवा खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के आदेश से प्रतिषिद्ध है;

(ii) जो उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ से भिन्न है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करते हुए,

भारत में आयात करेगा या विक्रयार्थ विनिर्माण करेगा या भंडारकरण, विक्रय या वितरण करेगा; या

(ख) चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे अपद्रव्य का जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है भारत में आयात करेगा या विक्रयार्थ विनिर्माण करेगा या भण्डारकरण, विक्रय या वितरण करेगा; या

(ग) किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप से नमूने लेने से रोकेगाय या

(घ) किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से रोकेगाय या

(ङ) किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माता होते हुए किसी अपद्रव्य की जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है, अपने कब्जे में या अपने अधिभोगाधीन किसी परिसर में रखेगा, या

(च) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा या किसी लोक विश्लेषक द्वारा की गई किसी परख या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र का अथवा उसके किसी उद्धरण का उपयोग किसी खाद्य पदार्थ के विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए करेगा, या

(छ) चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में, जो उसके द्वारा

विक्रय किया गया हो, मिथ्या वारंटी विक्रेता को देगा,

तो वह उस किसी शास्ति के अतिरिक्त, जिससे वह धारा 6 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय हो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु यह कि–

(i) यदि अपराध खण्ड (क) के उपखण्ड (प) के अधीन है और ऐसे कारणों से, जो मानवीय नियंत्रण के बाहर हैं, अपमिश्रित ऐसे पदार्थ के सम्बन्ध में है, जो प्राथमिक खाद्य है या धारा 2 के खण्ड (प•) के उपखण्ड (ट) के अर्थ में मिथ्या छाप वाले खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में है; या

PTS Kherwara, udaipur

(ii) यदि अपराध खण्ड (क) के उपखण्ड (पप) के अधीन है, किन्तु धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (छ) के अधीन अथवा धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में अपराध नहीं है,

तो न्यायालय, किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों, से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम न होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा, दण्डित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि अपराध खण्ड (क) के उपखण्ड (पप) के अधीन है तथा धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (छ) के अधीन अथवा धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन के संबंध में है तो न्यायालय, किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित कर सकेगा।

(1क) यदि कोई व्यक्ति चाहे स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा—

(i) किसी खाद्य पदार्थ का जो धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ङ) से लेकर उपखण्ड (ठ) तक में से किसी के अर्थ में

अपमिश्रित हैय या

(ii) किसी अपद्रव्य का जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है,

भारत में आयात करेगा या विक्रयार्थ विनिर्माण करेगा या भंडारकरण, विक्रय या वितरण करेगा तो वह उस किसी शास्ति के अतिरिक्त, जिससे वह धारा 6 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय हो, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम न होगी किन्तु छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दो हजार रुपए से कम न होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु यदि ऐसे खाद्य पदार्थ या अपद्रव्य के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने पर उसकी मृत्यु होना सम्भाव्य है या उसके शरीर को ऐसी हानि होना सम्भाव्य है जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 320 के अर्थ में घोर उपहति होगी तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम न होगी किन्तु आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(1कक), यदि कोई व्यक्ति जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा में कोई खाद्य पदार्थ धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन रखा गया है ऐसे पदार्थ को बिगाड़ेगा या उसमें किसी अन्य रीति से हस्तक्षेप करेगा तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(1ख) यदि कोई व्यक्ति जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा में कोई खाद्य पदार्थ धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन रखा गया है ऐसे पदार्थ का विक्रय या वितरण करेगा जो उस मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके समक्ष वह पेश किया जाता है धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ज) के अर्थ में अपमिश्रित पाया जाता है और जिसके किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने पर उसकी मृत्यु होना सम्भाव्य है या उसके शरीर को ऐसी हानि होना सम्भाव्य है जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 320 (अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 116) के अर्थ में घोर उपहति होगी तो उपधारा

(1कक) में किसी बात के होते हुए भी वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम न होगी किन्तु आजीवन हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से कम न होगा, दण्डनीय होगा।

(1ग) यदि कोई व्यक्ति धारा 14 या धारा 14क के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(1घ) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सिद्धदोष कोई व्यक्ति तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा जो उपधारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह न्यायालय, जिसके समक्ष

PTS Kherwara, Udaipur

द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि हो इस अधिनियम के अधीन उसे दी गई अनुज्ञप्ति को, यदि कोई हो रद्द करने का आदेश दे सकता है और तब ऐसी अनुज्ञप्ति, इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रद्द हो जाएगी।
(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सिद्धदोष कोई व्यक्ति तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा तो उस न्यायालय के लिए जिसके समक्ष द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि हो यह विधिसम्मत होगा कि वह अपराधी के नाम और निवास–स्थान, अपराध और अधिरोपित शास्ति के अपराधी के व्यय पर ऐसे समाचारपत्रों में और ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित कराए जैसी वह न्यायालय निदिष्ट करे। ऐसे प्रकाशन के व्यय दोषसिद्धि पर होने वाले खर्च का भाग समझे जाएंगे और उसी रीति से वसूल किए जा सकेंगे जैसे जुर्माना किया जाता है।

16क. न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) (अब बीएनएसएस 2023) में किसी बात के होते हुए भी धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन सभी अपराधों का संक्षेपतः विचारण प्रथम वर्ग के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया हो अथवा किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से लेकर धारा 265 तक (अब बीएनएसएस की धारा 285 से 288 तक) की धाराओं के उपबन्ध ऐसे विचारण को यावत्शक्य लागू होंगे :

परन्तु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्धि की दशा में मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह इतनी अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक की न हो, कारावास का दण्डादेश पारित करे :

परन्तु यह और कि यदि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ में या उसके दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित करना पड़े या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षेपतः विचारण करना अवांछनीय है तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस भाव का आदेश लेखबद्ध करेगा और तत्पश्चात् किसी भी साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो, पुनः बुलाएगा और मामले को उक्त संहिता द्वारा उपबन्धित रीति से सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा।

17. कम्पनियों द्वारा अपराध– (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां–
(क) (i) ऐसा व्यक्ति, यदि कोई है जो उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी होने के लिए उपधारा (2) के अधीन नामनिर्देशित किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्तरदायी व्यक्ति कहा गया है), अथवा
(ii) जहां ऐसा कोई व्यक्ति नामनिर्देशित नहीं किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस के उत्तरदायी थाय तथा
(ख) वह कम्पनी,
अपराध की दोषी समझी जाएगी तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने की भागी होगी:
परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।
(2) कोई कम्पनी, लिखित आदेश द्वारा, अपने निदेशकों या प्रबन्धकों में से किसी को (जो प्रबन्धक मुख्यतया प्रबन्धकीय या पर्यवेक्षकीय हैसियत में नियोजित हो) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी

PRS Kherwara, udaipur

सभी कार्यवाहियां करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का कम्पनी द्वारा किया जाना निवारित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों तथा स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए यह सूचना कि उसने ऐसे निदेशक या प्रबन्धक को उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित किया है, ऐसे निदेशक या प्रबन्धक की इस प्रकार नामनिर्देशित किए जाने के लिए लिखित सहमति के सहित दे सकेगी।

स्पष्टीकरण—जब किसी कम्पनी के विभिन्न स्थापन या शाखाएं अथवा किसी स्थापन या शाखा में विभिन्न यूनिटें हों तब विभिन्न स्थापनों या शाखाओं या यूनिटों के लिए विभिन्न व्यक्ति इस उपधारा के अधीन नामनिर्देशित किए जा सकेंगे और किसी स्थापन, शाखा या यूनिट के सम्बन्ध में नामनिर्देशित व्यक्ति को ऐसे स्थापन, शाखा या यूनिट के सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्ति समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नामनिर्देशित व्यक्ति, जब तक—

है, अथवा (i) स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को ऐसा नामनिर्देशित रद्द करने की अतिरिक्त सूचना कम्पनी से नहीं मिल जाती

(ii) उस कम्पनी के, यथास्थिति, निदेशक या प्रबन्धक के पद पर उसका बना रहना समाप्त नहीं हो जाता है अथवा

(iii) वह कम्पनी को सूचित करते हुए स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी से लिखित रूप में यह निवेदन नहीं करता है कि उसका नामनिर्देशन रद्द कर दिया जाए खजिस निवेदन को स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा), इसमें जो भी सब से पहले हो, तब तक उत्तरदायी व्यक्ति बना रहेगा :

परन्तु जब ऐसे व्यक्ति का उस कम्पनी के, यथास्थिति, निदेशक या प्रबंधक के पद पर बना रहना समाप्त हो जाता है तब वह ऐसी समाप्ति की सूचना स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को देगा रू

परन्तु यह और कि जब ऐसा व्यक्ति खण्ड (iii) के अधीन निवेदन करता है तब स्थानीय (स्वास्थ्य) अधिकारी ऐसे नामनिर्देशन को उस तारीख से, जिसमें निवेदन किया जाता है, पहले की किसी तारीख से रद्द नहीं करेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की (जो उपधारा (2) के अधीन नामनिर्देशित व्यक्ति नहीं है। सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है;

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत हैय और

(ग) होटल उद्योग में लगी हुई किसी कम्पनी के सम्बन्ध में, "प्रबन्धक" के अन्तर्गत उसके द्वारा चलाए जाने वाले या

18. सम्पत्ति का समपहरण— जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन किसी नियम के किन्हीं भी उपबन्धों के उल्लंघन के लिए इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष किया गया है, वहां वह खाद्य पदार्थ जिसके बारे में वह उल्लंघन किया गया है, सरकार को समपहृत कर दिया जाएगा;

परन्तु जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह खाद्य पदार्थ पुनः प्रसंस्करण के पश्चात् मानव उपभोग के लिए विहित मान के अनुरूप बनाए जा सकने योग्य है, तो न्यायालय आदेश दे सकेगा कि वह खाद्य पदार्थ ऐसे अधिकारी के जो उसमें विनिर्दिष्ट हो पर्यवेक्षण से पुनः प्रसंस्करण के

PTS Kherwara, Udaipur

पश्चात् उस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन विक्रय किए जाने के लिए स्वामी को उसके द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर वापस कर दिया जाए।

20. अपराधों का संज्ञान और विचारण– (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए जो धारा 14 या धारा 14क के अधीन अपराध नहीं है। कोई भी अभियोजन, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार '''' अथवा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार '''' द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, या उसकी लिखित सम्मति से संस्थित किए जाने के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा;

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन, धारा 12 में निर्दिष्ट क्रेता 'या मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम, द्वारा संस्थित किया जा सकेगा यदि वह परिवाद के साथ लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय में पेश करता है।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) (अब बीएनएसएस 2023) में किसी बात के होते हुए भी धारा 16 की उपधारा (1कक) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

20क. विनिर्माता आदि को अभियोजित करने की न्यायालय की शक्ति– जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के जिसका ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिकथित है जो किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी नहीं है विचारण के दौरान किसी समय न्यायालय का अपने समक्ष पेश किए गए साक्ष्य पर समाधान हो जाता है कि ऐसा विनिर्माता, वितरक या व्यवहारी भी उस अपराध से संबंधित है वहां न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 319 की उपधारा (3) में (बीएनएसएस की धारा 358) या धारा 20 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही चला सकेगा मानो उसके विरुद्ध धारा 20 के अधीन अभियोजन संस्थित किया गया हो।

20कक. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 (बीएनएसएस की धारा 401) का लागू होना– अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 (बीएनएसएस की धारा 401)में अन्तर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति को तभी लागू होगी जब वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है अन्यथा नहीं।

21. मजिस्ट्रेट की वर्धित शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 (बीएनएसएस की धारा 23)में किसी बात के होते हुए भी किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह आजीवन कारावास या छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दण्डादेश के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश पारित करे जो उक्त धारा के अधीन उसकी शक्तियों से अधिक हो ।

PTS Kherwara udaipur

Module- A- 13- The Public Health and Safety (Day-05) (Session-30)
Paper- 13- Practical Hands-on (12 Session)

नोटः– प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक कक्षा कक्ष में सम्पत्ति संबंधी अपराधों पर निम्नांकित पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देवें।
सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रदर्शन
भोजन/स्वच्छता/यातायात/ विस्फोटक/ महामारी/ पानी/ जानवर

1. प्रदर्शन / जुलूस

- जोखिम भीड़ का हिंसक होना, पथराव, भगदड़, और यातायात बाधित होना।
- प्रैक्टिकल एक्शन– इनपुट व इंटेलिजेंस– पूर्व अनुमति की शर्तें जांचें और आयोजकों की पहचान कर संपर्क स्थापित करें।
- फॉरमेशन– आंसू गैस, वाटर कैनन, और दंगा–रोधी गियर से लैस बैकअप टीम तैयार रखें।
- कम्युनिकेशन व वीडियोग्राफी– पूरी भीड़ की ड्रोन या CCTV वीडियोग्राफी कराएं।
- मिनिमम फोर्स सिद्धांत– हल्का बल प्रयोग करने से पहले BNSS की धारा 163 या लाउडस्पीकर पर वैधानिक चेतावनी दें।

2. भोजन /खाद्य सुरक्षा

- जोखिम– मिलावट, फूड पॉइजनिंग, और सार्वजनिक समारोहों में बासी भोजन।
- प्रैक्टिकल एक्शन–
- संयुक्त टीम– खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर सामूहिक मेलों, ढाबों और भंडारों का औचक निरीक्षण करें।
- नमूना जब्ती– संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत FSO की मौजूदगी में सैंपल सील करें।
- इमरजेंसी रिस्पॉन्स– फूड पॉइजनिंग की घटना होने पर तुरंत सैंपल (खाना व उल्टी/उलटी का पानी) फॉरेंसिक/लैब जांच के लिए सुरक्षित करवाएं और अस्पताल को अलर्ट करें।

3. स्वच्छता / पर्यावरण सुरक्षा

- जोखिम– खुले में कचरा जलाना, औद्योगिक कचरा बहाना, और संक्रामक बीमारियों का फैलाव।
- प्रैक्टिकल एक्शन–
- पब्लिक न्यूसेंस– BNSS की धारा 152 के तहत सार्वजनिक स्वच्छता में बाधा या खतरा पैदा करने वालों पर चालान/रिपोर्ट तैयार करें।
- प्लास्टिक व कचरा बैन– स्थानीय नगर निगम नियमों के तहत अवैध डंपिंग रोकने के लिए गश्त बढ़ाएं।
- बायो–वेस्ट– अस्पतालों या लैब से निकलने वाले खतरनाक मेडिकल कचरे की अवैध निकासी पर तुरंत FIR दर्ज करें।

4. यातायात / सड़क सुरक्षा

- जोखिम– सड़क दुर्घटनाएं, ब्लैक स्पॉट्स, ड्रंक ड्राइविंग, और ओवरस्पीडिंग।
- प्रैक्टिकल एक्शन– ब्रेथ एनालाइजर जांच– ड्रंक ड्राइविंग चेकिंग के समय डिजिटल स्प्रिट मीटर का सही इस्तेमाल और वीडियो साक्ष्य बनाएं।
- ब्लैक स्पॉट मैपिंग– अपने क्षेत्र के दुर्घटना–संभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर साइनबोर्ड और बैरिकेड्स लगवाएं।
- गोल्डन आवर मैनेजमेंट– दुर्घटना के तुरंत बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए गुड समैरिटन नियम का पालन करें और क्रेन/एम्बुलेंस तुरंत तैनात करें।

PTS Kherwara, udaipur

5. विस्फोटक / आतिशबाजी

- जोखिम– अवैध पटाखा फैक्ट्रियां, बिना लाइसेंस विस्फोटक सामग्री का परिवहन, आगजनी।
- प्रैक्टिकल एक्शन–लाइसेंस चेकिंग– पटाखा दुकानों और गोदामों में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत अग्नि–सुरक्षा मानकों की जांच करें।
- जब्ती की विधि– अवैध विस्फोटक मिलने पर उसे कभी भी बंद कमरे या पुलिस थाने के अंदर असुरक्षित न रखेंय खुले स्थान पर रेत की बोरियों में सुरक्षित रखें।
- बम निरोधक दस्ता– संदिग्ध लावारिस वस्तु मिलने पर "Do Not Touch" का पालन करें और कम से कम 100 मीटर की कॉर्डन बनाएं।

6. महामारी / बायो–हेजार्ड

- जोखिम– संक्रामक रोगों का फैलाव, अफरा–तफरी, और अफवाहें।
- प्रैक्टिकल एक्शन– क्वारंटाइन व बफर जोन– महामारी अधिनियम के तहत प्रभावित इलाकों में आवाजाही नियंत्रित करें।
- PPE व सेल्फ–सेफ्टी– ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर सुनिश्चित करें।
- साइबर सेल चेकिंग– महामारी के दौरान स्वास्थ्य और दवाओं को लेकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर तुरंत कार्रवाई करें।

7. जल सुरक्षा / पेयजल व जलाशय

- जोखिम– डूबने की घटनाएं, पेयजल स्रोतों में जहर या दूषित पदार्थ मिलाना, बाढ़।
- प्रैक्टिकल एक्शन– जलाशय सुरक्षा– झीलों, नहरों, और घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाएं और होमगार्ड/गोताखोरों की सूची व संपर्क नंबर तैयार रखें।
- पेजल स्रोतों की सुरक्षा– मुख्य जल टैंकों और सप्लाई लाइनों के पास पुलिस गश्त सुनिश्चित करें ताकि किसी तरह की तोड़फोड़ या जहरीला पदार्थ मिलाने की घटना न हो।
- रेस्क्यू गियर– गश्ती वाहनों में लाइफ जैकेट, रस्सियां और ट्यूब हमेशा तैयार रखें।

8. जानवर / आवारा व हिंसक पशु

- जोखिम– आवारा पशुओं से सड़क दुर्घटनाएं, रेबीज/काटना, और जंगली जानवरों का आबादी में घुसना।
- प्रैक्टिकल एक्शन– वन विभाग समन्वय– जंगली जानवर (जैसे तेंदुआ, भालू) दिखने पर स्वयं हमला न करेंय तुरंत वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचित करें और भीड़ को दूर रखें।
- सड़क सुरक्षा– राजमार्गों पर घूमते आवारा मवेशियों पर रेडियम बैंड लगाने के लिए नगर निगम/गौशालाओं के साथ अभियान चलाएं।
- पशु क्रूरता निवारण– मवेशियों के अवैध परिवहन की शिकायत पर वाहन जब्त कर पशुओं को नजदीकी गौशाला भिजवाएं।

PTS Kherwara, udaipur

➢ Case Law- Chakra Bahera VS State of Orissa (1974)-

1. परिचयः– प्रायः यह भ्रम रहता है कि कोई भी असुविधाजनक कृत्य तुरंत लोक उपद्रव बन जाता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय स्पष्ट करता है कि किसी कृत्य को लोक उपद्रव के तहत दंडनीय बनाने के लिए केवल असुविधा का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें सार्वजनिक अधिकार का हनन, व्यापकता और आनुपातिकता का होना आवश्यक है।

2. मामले के तथ्यः–

- घटना– कटक जिले के बारंग क्षेत्र के एक गाँव (कांतापटना) में रात की गश्त के दौरान पुलिस सिपाहियों ने देखा कि अभियुक्तों (चक्र बेहरा एवं अन्य) ने सार्वजनिक रास्ते पर अपने मवेशियों (गायों/भैंसों) को बाँध रखा था।
- आरोप– पुलिस का कहना था कि मवेशियों द्वारा पेशाब करने से रास्ता कीचड़युक्त हो गया था और वहाँ से गुजरने वाले आम लोगों को असुविधा हो रही थी।
- निचली अदालत का फैसला– सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को IPC की धारा 290 के तहत दोषी ठहराया और ₹25 का जुर्माना लगाया (जुर्माना न देने पर 1 सप्ताह का साधारण कारावास)।
- उच्च न्यायालय में अपील– अभियुक्तों ने इस दोषसिद्धि के विरुद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

3. न्यायालय के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न–

- क्या सार्वजनिक रास्ते पर मवेशियों को बाँधना और उससे रास्ता कीचड़युक्त होना IPC धारा 268/290 (BNS 270/292) के तहत लोक उपद्रव की श्रेणी में आता है?
- क्या मामूली या तुच्छ असुविधाओं को दंड कानून के तहत अपराध माना जा सकता है?

4. उच्च न्यायालय का निर्णय एवं कानूनी सिद्धांत–

उड़ीसा उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति आर.एन. मिश्रा) ने मजिस्ट्रेट के फैसले को रद्द करते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए–

(i) आनुपातिकता का ज्ञान– न्यायालय ने टिप्पणी की कि आपराधिक मामलों में अदालतों और पुलिस को आनुपातिकता के बोध के साथ काम करना चाहिए। ग्रामीण भारत के सामान्य जीवन में मवेशियों को बाँधना या रास्ता थोड़ा गंदा होना एक आम बात है। हर छोटी–मोटी असुविधा को आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता।

(ii) तुच्छता का सिद्धांत– कानून छोटी–मोटी और नगण्य बातों पर ध्यान नहीं देता जब तक कि किसी कृत्य से जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा को गंभीर और व्यापक क्षति न पहुँचे, तब तक उसे लोक उपद्रव नहीं माना जाना चाहिए।

(iii) साक्ष्य का अभाव–मामले में केवल दो पुलिसकर्मी ही गवाह थे। गाँव के किसी भी आम नागरिक या राहगीर ने यह गवाही नहीं दी कि उन्हें रास्ते से निकलने में कोई गंभीर बाधा या संकट का सामना करना पड़ा।

5. नए कानून (BNS, 2023) के संदर्भ में प्रासंगिकतावर्तमान में भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है–लोक उपद्रव की परिभाषा IPC धारा 268 → BNS धारा 270 अनिर्दिष्ट लोक उपद्रव के लिए दंड– IPC धारा 290 → BNS धारा 292 (जिसके तहत जुर्माना राशि ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 तक कर दी गई है)यह निर्णय BNS की धारा 270 और 292 के व्यावहारिक प्रयोग को समझने के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

PTS khe... udaipur